ऐतिहासिक पंजाबी भाषा बिल पारित

पंजाब भाषा विवाद तथा युगदृष्टा श्री गोलवलकर जी

- स. चिरंजीव सिंह

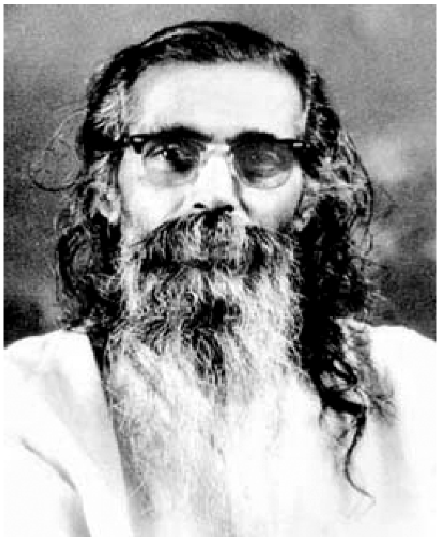

गत 10 सितंबर 2008 को पंजाब विधान सभा ने **पंजाबी भाषा बिल** को पारित करके पंजाब के संसदीय इतिहास में एक नया आयाम जोड़ दिया। निस्संदेह इतिहास ने तब एक बार नई करवट ली है। जब अकाली-भाजपा सरकार ने इस बिल को विधान सभा में सर्व समिति से तथा एकात्मता से पास करवा लिया। विरोधी दल (कांग्रेस) द्वारा चल रही बहस का उत्तर देते हुए, पंजाब के वित्तमंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी कर डाली। उन्होंने कहा, कि उर्दू भाषा कभी भी पंजाब की भाषा न होकर विदेशियों द्वारा पंजाबियों पर लगातार थोपे जाने वाला षड्यंत्र मात्र थी। वह पंजाबियों की मातृभाषा कभी भी नहीं थी।

अब संशोधन बिल 2008 कानून बन गया है। जिसके अनुसार सभी सरकारी विभागों में तथा 10वीं कक्षाओं तक पंजाबी भाषा का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। इस प्रकार सहज एवं स्वभाविक ढंग से यह प्रक्रिया संपन्न तो हो गई। परन्तु पंजाबी भाषी राज्य बनने के लगभग 42 वर्ष बाद? पहला प्रश्न तो यह है कि जब भाषावार प्रान्तों की रचना देश ने स्वीकार कर ली, तो इतना लंबा समय अपनी ही भाषा को लागू करने में पंजाब को क्यों लगा? दूसरा आश्चर्यजनक प्रश्न यह है कि अकाली और भाजपा (पुराना जनसंघ) दो ऐसे प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जिन्होंने अतीत काल में पंजाबी-हिन्दी विवाद से उत्पन्न एक उग्र संघर्ष का विपरीत दिशाओं में नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, वह संघर्ष पचास-साठ के दशक में पंजाबी समाज को दो फाड़ करने की प्रकाष्ठा तक पहुंच गया था। उस समय यह अनुमान लगाना असंभव था कि यह दो धाराएं समाज का ध्रुवीकरण करने वाले दल एक दिन न केवल विश्वास एवं प्रेमपूर्वक मिलकर पंजाब राज्य का संचालन करेंगे, अपितु हिन्दी भाषा के राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करते हुए, पंजाबी भाषा को पंजाब की राज्य भाषा का अधिकार भी दिलवाएंगे। आज संतोष एवं हर्ष का विषय है कि कालचक्र अपनी परिक्रमा पूर्ण करके सहज एवं स्वभाविक गति से अग्रसर हो रहा हैं।

घटनाक्रम का संक्षिप्त इतिहास-इस दिखाई देने वाले विरोधभाषी दृश्य को समझने के लिए गहराई में जाकर, अतीत में होने वाली भूलों को समझना होगा। इन त्रुटियों के निराकरण करने वाले कारकों का विश्लेषण करना भी युक्ति संगत होगा।

विभाजन की त्रासदी-अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य की शह पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करके देश के बटवारें का बीज बो दिया। अंतत: 1947 में भारत का विभाजन हो गया। 1945 की जनरल एसेम्बली के चुनाव में मुसलमानों ने लीग का, हिन्दुओं ने कांग्रेस का समर्थन किया। मुस्लिम लीग का तर्क था कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से राज्य छीना था, उनको आजादी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान चाहिए। अकाली नेता मास्टर तारा सिंह जी ने कहा कि हम तो अखण्ड भारत चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान बनता है तो सिखों को भी अपना खोया हुआ राज्य (जिसे अंग्रेजों ने छल कपट से महाराजा रणजीत सिंह के देहान्त के बाद छीना था) 'सिख राज्य' के रूप में चाहिए।

अंग्रेजों की नीति-अंग्रेजों की प्राथमिकता देश को विभाजित करके मुसलमानों को पाकिस्तान देने की थी। अकाली नेताओं की सिख राज्य की मांग को अंग्रेजों ने भारत विभाजन की उनकी नीति में बाधा के रूप में देखा। अंग्रेजों का तर्क था कि अकाली अखण्ड भारत ही चाहते हैं, देश विभाजन को रोकने के लिए वे सिख राज्य की मांग कर रहे हैं। इसीलिए एटली ने अकालियों की मांग को अनसुना कर दिया। पाकिस्तान की घोषणा कर टूटे-फूटे भारत को आजादी का नाम दे दिया। 500 रियासतों को भी भारत अथवा पाकिस्तान में विलीन होने की छूट दे दी गई। परिणामस्वरूप भारत को आजादी मिलने के बाद भी हिन्दु-सिख बेचैन रहे।

अकाली नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं को सिखों के साथ किए गए वायदों को याद दिलाया। नेहरू जी, महात्मा गांधी जी तथा कांग्रेस के प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें कांग्रेस ने सिखों को भी आजादी की खुशबू मिले, ऐसे राजनैतिक आश्वासन दिये थे। परन्तु कांग्रेस तो अपने पक्ष में भी दृढ़ता के साथ संकल्प पर कायम रहने में असफल रही। कांग्रेस अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी नीतियों के सामने न खड़ी हो सकी और ना टिक सकी। पाकिस्तान से एक करोड़ से ज्यादा हिन्दु-सिख शरणार्थी बनकर अपने ही देश भारत में आए। करीब 10 लाख लोग विभाजन के समय के दंगों में मारे गए थे। इस अफरा-तफरी में सबसे अधिक कष्ट पंजाबियों (सिखों और शेष समाज) को उठाना पड़ा। पंजाब और सम्पूर्ण देश का वातावरण बड़ा जहरीला हो गया था। लोग क्षुब्ध थे। लोग स्थायित्व चाहते थे। यदि कांग्रेस अकाली नेताओं के साथ किए गए वायदों को पूरा करना भी चाहती, तो देशवासी उसके विरुद्ध हो जाते। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। भारत के लोग एक विभाजन के बाद दूसरे विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। सिख समाज ने भी विभाजन से पूर्व जो थोड़ा बहुत समर्थन अकाली नेताओं को दिया था, वह बदले हालातों में ढ़ीला पड़ गया था। घर-बार, इज्जत, आबरू लूटने के बाद सिख राज्य की परिकल्पना केवल सिख नेताओं तक सीमित हो गई थी। आम सिख तो अपने परिवार की पुनर्व्यवस्था एवं पुनर्वास में जुट गया था। ऐसी स्थिति में अकाली नेता बेबसी और लाचारी के शोक में अपने आपको छला हुआ महसूस करने लगे। वे अंग्रेजों से भी अधिक कांग्रेसी नेताओं पर धोखे का आरोप लगाने लगे। अकाली आज तक यह आरोप लगाते हैं। हिन्दु समाज ने कांग्रेस का साथ दिया। इसीलिए वह अपना क्रोध सिखेत्तर हिन्दुओं पर निकालने लगे।

सिख राज्य से पंजाबी भाषाई राज्य-कांग्रेस नेतृत्व के थोथे राजनैतिक आश्वसनों के कारण तथा जनसंख्या के आदान-प्रदान का निर्णय न होने के कारण और हजारों की संख्या में पाकिस्तान से मृत हिन्दु सिख लाशों के अमृतसर पहुंचने के हालातों की जनसामान्य में प्रतिक्रिया होना तय था। इसकी पहली प्रतिक्रिया पूर्वी पंजाब की रियासतों में रहने वाले मुस्लिमों को पंजाब छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर करने के रूप में हुआ। कपूरथला घराने को सिख से इसाई बनी राजकुमारी अमृतकौर ने नेहरूजी और सरदार पटेल को 5 अक्टूबर 1947 को पत्र लिखा कि केवल पटियाला राज्य में एक लाख मुसलमानों को बकरियों के समान मार दिया गया है, मुसलमानों को सिख बनाया जा रहा हैं। 11 अक्टूबर को सरदार पटेल ने उपरोक्त आरोप का उत्तर देते हुए कहा कि संबंधित राज्यों को चेतावनी दे दी गई है कि यह नीति आत्मघाती है, यह सब बंद होना चाहिए। (Sardar Patel's Correspondence, sd/Durgadas, volume-4th, page-398, 399)

दूसरी ओर 25 सितम्बर 1947 को मास्टर तारा सिंह पत्रकारों के माध्यम से देश को संदेश दे रहे थे कि 'हम पूर्वी पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित कर रहे हैं, यह दुष्प्रचार पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी के प्रचार तंत्र द्वारा किया जा रहा हैं। ताकि हिन्दु और सिखों में फूट की दरार डाली जा सके। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिन्दु और सिख इकट्ठे ही खड़े होंगे और इकट्ठे ही मरेंगे।' (Ch. Ajit Singh Sarhadi, 'Punjabi Suba', Delhi, 1970, pg. 1561)

पंजाबी सूबे की अवधारणा का प्रारम्भ–चौधरी अजीत सिंह सरहदी की पुस्तक 'पंजाबी सुबा' में लिखा है कि सिख नेतृत्व सिख राज्य की अवधारणा से बिल्कुल किनारा कर चुके थे और वे लोकतांत्रिक ढांचे में काम करने के चाहवान हो चुके थे। यहीं से अकाली नेतृत्व सिख राज्य की अवधारणा का विकल्प तलाश करने की ऊहो–पोह में थे। इस विषय पर स. हरचरण सिंह बाजवा, जो 1931 से 1960 तक अकाली दल की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे और 15 वर्ष तक प्रबंधकीय सदस्य भी रहे थे, ने अपनी पुस्तक 'Fifty years of Punjabi Politics' में एक ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 'अब तो मामला वोट राजनीतिक तक सीमित हो गया है। सिख स्वतंत्र, सिख राज्य और सिख कुर्बानियों के विषय पीछे पड़ गए हैं।' वह यह भी लिखते हैं कि अब प्रभुसत्ता भी कोई विषय नहीं रह गया था।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का ऐतिहासिक रोल–स. हरजीत सिंह सरहदी ने अपनी पुस्तक 'पंजाबी सूबा' के पृष्ठ 18 पर बड़े दुख के साथ सिख राज्य का उल्लेख किया है। दोनों पुस्तकों का सार एक दिशा की ओर इंगित कर रहा था। हरचरन सिंह बाजवा कहते हैं कि 'ऐसी डांवाडोल परिस्थिति में मैंने भूपिन्दर सिंह मान और ज्ञानी करतार सिंह को साथ लिया और तिकड़ी ने डॉ. अम्बेडकर जी से सलाह लेने के लिए उनका दरवाजा खटखटाया। हमने सिख समाज और अकाली नेतृत्व के साथ होने वाले छलावे का पूरा व्यौरा डॉ. अम्बेडकर जी के समक्ष रखा। डॉ. अम्बेडकर जी ने तुरन्त सलाह दी और धैर्य बंधाते हुए कहा कि अगर आप पाकिस्तान की ओर झुक जाते तो आप वहां अल्पसंख्यक होकर रहते। भारत में अल्पसंख्यक भले ही रहे, परन्तु आप विभाजित पंजाब में अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। अखण्ड पंजाब में दो तहसीलों को छोड़कर आप कहीं पर भी बहुसंख्यक नहीं थे। अब पूर्वी पंजाब में भी आप बहुसंख्यक नहीं है। परन्तु आप सिख राज्य की डांवाडोल अवधारणा को छोड़कर पंजाबी भाषी राज्य की मांग क्यों नहीं करते? कांग्रेस भाषावार राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए (1937 के प्रस्ताव के अनुसार) प्रतिबद्ध है। कांग्रेस आपकी इस मांग को टाल सकती है, परन्तु इसका विरोध नहीं कर सकती।'

सिख नेताओं को संतोष–अकाली नेता हरचरन सिंह बाजवा आगे लिखते हैं कि 'डॉ. अम्बेडकर के इस सुझाव को सुनकर हमारे उदासीन चेहरों पर उत्साह की चमक आ गई। हम जानते थे कि तंग दिल सरदार पटेल सिख राज्य बनने नहीं देगा, परन्तु पंजाबी सुबा की स्थापना के लिए हमारा रास्ता खुल जाएगा।' इस घटना का उल्लेख अजीत सिंह सरहदी अपनी पुस्तक 'पंजाबी सूबा' में इसका प्रकार करते हैं, 'फरवरी 1948 के प्रारम्भ में जब हम अकाली कार्यकारिणी के सदस्य मिले, तो डॉ. अम्बेडकर ने समझाया–विभाजन निस्संदेह देश की सबसे बड़ी दुखांत घटना थी। आज आबादी के बदल के बाद, सिख ही सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि आपकी कम्युनिटी 6 पंजाबी जिलों में बहुसंख्यक हो जाएंगे और शेष पंजाब के 8 जिलों में भी आपके बहुसंख्यक होने की संभावना है। ये 50 हजार वर्ग का ऐरिया आप ही का हो जाएगा। इस प्रकार गत 400 साल के इतिहास में आप पहली बार ऐसे इलाके में रहेंगे, जिसे आप अपना होमलैण्ड कह सकते हैं। आप स्व:निर्णय के सिद्धांत पर अपना राज्य बना सकेंगे।'

.......और पंजाबी सूबा आन्दोलन शुरु हो गया। डॉ. अम्बेडकर के साथ सिख नेताओं की बैठकें फरवरी 1948 में संपन्न हुई और इसी फरवरी मास के अंत में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन ने केन्द्र सरकार के विरुद्ध पंजाबी सूबे के निर्माण के लिए बिगुल बजा दिया। इस आन्दोलन में स. अजीत सिंह सरहदी और हरचरन सिंह बाजवा सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए। अकाली नेताओं को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जब सारे देश में भाषावार प्रान्त बन गए, तो पंजाबी सूबा बनने के लिए 60 हजार की संगत

को जेल भेजना पड़ा। उपरोक्त इतिहास एवं सभी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस अकाली शिकायत का विश्लेषण पाठकगण स्वयं करें।

पंजाबी सूबा आन्दोलन की प्रतिक्रिया-पाकिस्तान बनने के कारण तथा इतिहास में भारत विभाजन होने की बड़ी दुर्घटना के कारण सिख समाज सहित सम्पूर्ण देश का वातावरण तनाव भरा हो चुका था। अपने-अपने भविष्यों को लेकर सभी वर्ग क्षुब्द हो गए थे। पंजाबी सूबा आन्दोलन की मांग में जो तर्क संगत भाग था, उसको भी आम जनता ने सुना-अनसुना कर दिया। सत्तासीन कांग्रेस दल ने भी पंजाबी आन्दोलन को शक की निगाह से देखा। परन्तु आम सिखेत्तर सहजधारी हिन्दू समाज ने पंजाबी आन्दोलन को देश के हितों के विरुद्ध माना और एक नए विभाजन की आशंका के रूप में ही देखा।

राज्य पुनर्गठन आयोग-राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी पंजाबी आन्दोलन के उद्देश्यों और परिणाम के संदर्भ में रिपोर्ट लिखते हुए निम्न टिप्पणी की-

The agitation in favor of Punjabi speaking State has been the subject matter of a serious controversy, a regretable consequence of which has been the inflamation of communal passion in this region. One strange result of this has been the denial of large section of Hindu community Punjabi language as their mother tongue.' (Govt. of India: Report of the State Reorganisation Commission, 1955, para-518, page-141)

उधर प्रधानमंत्री नेहरू ने 28 अगस्त 1961 को लोकसभा में घोषणा की कि 'पंजाबी सूबा की मांग एक साम्प्रदायिक मांग है। चाहे इस मांग को भाषाई आधार प्रदान किया गया है।'

हिन्दी आन्दोलन-उपरोक्त घटनाचक्र के परिणामस्वरूप आर्य समाज के नेतृत्व में सहजधारी हिन्दु समाज ने जबर्दस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। आर्य समाज ने हिन्दी आन्दोलन की घोषणा कर दी। जनसंघ, जो नया हिन्दुत्ववादी राजनैतिक दल के रूप में, जन्म ले चुका था और अपने पैर जमाने के लिए विषय ढूंढ रहा था, ने आर्य समाज का पूरा साथ दिया। संयोग से जनसंघ के शीर्ष नेता आर्य समाजी ही थे। भले ही जनसंघ में अधिक सामान्य सदस्य गैर आर्यसमाजी थे। पंजाब की भाषा केवल पंजाबी नहीं है, उर्दू व हिन्दी भी राज्य की भाषा है, ऐसे अनेक तर्क दिए गए। सबसे बड़ा तर्क हिन्दी आन्दोलन के नेताओं का यह था कि 'हिन्दी राष्ट्रभाषा है हम इसे नहीं छोड़ेंगे।' यह भी कहा गया कि पंजाब छोटा हो जाएगा। यह सीमावर्ती क्षेत्र है। हरियाणा संभाग की भाषा पंजाबी नहीं। परन्तु सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि जो गैर केशधारी ठेठ पंजाबी बोलते थे, जिनको पंजाबी छोड़कर अन्य कोई भाषा आती ही नहीं थी, वह भी हिन्दी भाषा के नारे में शामिल हो गए थे। शहरी पंजाब का सम्पूर्ण गैर सिख पंजाबी समाज हिन्दी आन्दोलन में कूद पड़ा था। 1951 की जनगणना में एक-एक गैर सिख पंजाबी ने अपनी भाषा हिन्दी लिखवाई। 1961 से 1971 तक की जनगणना पर भी हिन्दी आन्दोलन का पूरा प्रभाव रहा।

दुष्परिणाम-1947 में, देश विभाजन के समय हिन्दू-मुस्लिम की कटुता, घृणा और अविश्वास के वातावरण के कारण चारों ओर विष फैल चुका था। परन्तु 1955 से 1966 तक के वर्षों में हिन्दू-सिख कटुता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। आर्य समाजी नेता आचार्य रामदेव-आर्य प्रतिनिधि सभा-कॉलेज सेक्शन, मेहरचन्द महाजन-जनसंघ नेता, डॉ. बलदेव प्रकाश-जनसंघ नेता, बलरामजी दास टंडन-जनसंघ नेता, श्री कृष्णलाल जी, श्री यज्ञदत्त जी, हरियाणा के मित्रसेन जी आदि सभी जेल भरो अभियान में जूट गए थे। पंजाबी सूबा के मुकाबले महापंजाब का नारा बुलंद हुआ। सम्पूर्ण देश के सामने पहाड़ जैसा यक्ष प्रश्न उठकर खड़ा हो गया कि पंजाबी सूबा हो या महापंजाब। ऐसे कटुता, घृणा के वातावरण में एक महापुरुष का 1960 के नवम्बर में पंजाब का दौरा हुआ। ये महापुरुष आगे चलकर इतिहास की पंक्तियों में एक युग पुरुष सिद्ध हुआ। जिसने बहते पानी के बहाव को एक नया मोड़, एक नई दिशा प्रदान की।

महान विभूति प.पू. माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी–ऐसे महापुरुष थे–राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक। उनको सारा विश्व श्री गुरुजी या गोलवलकर जी के नाम से आज भी जानता। 1925 में, अपने जन्म के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पंजाब में अपनी शुरुआत 1938 में प्रारम्भ की। 1947 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पंजाब तथा पंजाबी भाईयों की सुरक्षा के लिए अतुलनीय कार्य किया था। इसी कारण संघ का नाम देश भर में व विशेषकर पंजाब में बड़ी श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। पंजाब के इस संतापग्रस्त वातावरण में जब श्री गोलवलकर जी के प्रवास की सूचना पंजाब पहुंची, तो भारी उत्सुकता एवं जिज्ञासा से सबकी दृष्टि उनके आमद का इंतजार कर रही थी।

जालंधर शहर में, प.पू. गोलवलकर जी नवम्बर 1960 के प्रथम सप्ताह में अपने प्रवास पर आए थे। जालंधर के प्रबुद्ध नागरिकों तथा प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रकारों की एक बैठक 'सग्गी परिवार' की रेलवे रोड स्थित एक बिल्डिंग के प्रांगण में आयोजित की गई। जालंधर के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री कृष्णलाल ढल ने इस बैठक का आयोजन किया था। पत्रकारों, सम्पादकों और समाचार पत्रों के मालिकों को इस बैठक के लिए विशेषतौर पर आमंत्रण था। उन्हें कहा गया–'आपको पत्रकार के रूप में नहीं, अपितु सम्मानित नागरिक के तौर पर बैठक में भाग लेना है।' श्री गोलवलकर जी ने अपने उद्‌बोधन में संघ की संक्षिप्त जानकारी दी। परन्तु उस दिन नागरिक संघ कार्यों के अलावा संघ की पंजाब में भूमिका और पंजाब की परिस्थिति के बारे में प.पू. गोलवलकर जी के विचार जानना चाहते थे।

स्वभाविक ढंग से उपस्थित लोगों ने पंजाबी को मातृभाषा मानने या न मानने तथा सिखों को हिन्दुओं से अलग बताने जैसे विवादित मुद्‌दों पर प.पू. गोलवलकर जी की राय जाननी चाही। इस प्रकार के प्रश्न उठते ही वातावरण में एकदम निस्तब्धता छा गई। सभी की नजर प.पू. गोवलकर जी के चेहरे पर जमी थी। परन्तु जब एक युगदृष्टा से उत्तर सुना तो सभी आवाक् भौचक्के रह गए। क्योंकि उत्तर उनकी अपेक्षा के विपरीत था। गुरुजी ने सहज ढंग से उत्तर दिया।

उन्होंने कहा कि, 'पंजाब के सभी निवासियों की भाषा पंजाबी है। चाहे वह सिख है, या अन्य। आप सभी को यह सच स्वीकार करना चाहिए।' गुरुजी के इन स्पष्ट तथ्यों वाले उत्तर ने उस समय के माहौल को एकदम नया मोड़ दे दिया। जहां पंजाब के सिखेत्तर हिन्दुओं की मातृभाषा हिन्दी बताने वालों को झटका लगा वहीं अकाली विचारधारा के समर्थकों ने प.पू. गोलवलकर जी के पंजाबी भाषा संबंधी वक्तव्य का भरपूर स्वागत किया। पंजाबी भाषा के प्रमुख अकाली अखबार 'अजीत' के सम्पादक स. साधु सिंह हमदर्द ने 11 नवम्बर 1960 के सम्पादकीय में लिखा–'श्री गोलवलकर की स्पष्टोक्ति के बाद जनसंघ के हिन्दी समर्थक नेताओं ने पंजाबी को मातृभाषा मानने की बात कहनी शुरु कर दी है।' उन्होंने आगे लिखा है कि 'यदि हिन्दु पहले मान लेते तो आज पंजाबी सूबा का आन्दोलन शुरु न हुआ होता। सब झगड़े खत्म हो जाते।' सम्पादकीय में यह भी लिखा था कि अब हिन्दुओं में पंजाबी को मातृभाषा मानने की लहर चल पड़ी है।

उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रताप सिंह कैरों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा –'पंजाब के हिन्दु यदि गोलवलकर जी की बात मान ले तो यह बहुत उत्तम बात होगी और इस आधार पर पंजाब की एकता की नींव रखी जा सकेगी।'

इस प्रवास के दो दिन बाद एक बैठक अम्बाला कैंट में हुई थी, जिसमें मैं (लेखक) स्वयं भी उपस्थित था। वहां भी नागरिकों ने जब रोष प्रकट किया और कहा हम तो आपसे आशा करते थे कि आप हमारे जख्मों पर मरहम लगाएंगे। परन्तु आपने तो नमक छीड़क दिया। तब भी प.पू. गोलवलकर जी ने दृढ़तापूर्वक कहा–'सत्य को छुपाना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना ही सच्ची मानवता है।' आज 42वर्ष बाद जब पंजाब की अकाली–भाजपा सरकार ने पंजाबी भाषा बिल–2008 पास किया, तो निस्संदेह पंजाब और पंजाबियों की वह

एकता 10 नवम्बर को विधान सभा में नजर आई, जिसकी अभिलाषा कभी पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रताप सिंह कैरों ने की थी।

श्री गुरुग्रंथ साहिब जी में अंकित 'बाबरवाणी' में गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि 'आपत्ति के समय में भी सच बोलना ही असली सत्य की वेला होती है-सच की बाणी नानक आखै, सच सुणाएसी सच की वेला।'

प.पू. माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी जैसे युगदृष्टा समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, क्योंकि वे विरोधों के सागर से टकराकर भी सत्य के पक्ष में ही खड़े होते हैं और सत्य को अपने आचरण में उतारते हैं। इसी युगबोध से उस विराट् महामानव का ऐतिहासिक उद्‌बोधन था-'सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय है। सभी भाषाएं राष्ट्रवादी तत्वों के स्रोत हैं।'●